

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय- व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	उत्तम सिंह श्री जो.मो.ब. राउमावि. लक्ष्मणगढ़, सीकर	अर्थशास्त्र	माह मई 2020 से अगस्त 2020 तक	श्री जो.मो.ब. राउमावि. लक्ष्मणगढ़ सीकर में व्याख्याता कृषि विज्ञान (विज्ञान वर्ग) के पद विरुद्ध से
2	सुशिला चौधरी – राबाउमावि. खुडी बड़ी लक्ष्मणगढ़, सीकर	भूगोल	जुलाई 2021 से आगामी आदेशों तक	राउमावि. खुडी सुजानगढ़ चुरु में व्याख्याता (भूगोल) के स्वीकृत रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 17 / 09 / 2021

क्रमांक- शिविरा / माध्य / संस्था / सी-5 / वेतन व्यवस्था / 2020-21 / 214  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..... ।
2. सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
4. सम्बंधित प्रधानाचार्य / कार्मिक..... ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
6. निजी / रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर